फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/142 बअनवान तहसीलदार बाली बनाम अमरा वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी सं 1 के अधिवक्ता श्री राजा जोशी उपस्थित। अप्रार्थी सं 2 से 4 के अधिवक्ता श्री दिनेश गेहलोत उप.। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का अनुरोध किया। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण तहसीलदार बाली के इस आवेदन पर पंजीबद्ध किया गया कि ग्राम माताजीवाडा के खसरा नंबर 272 रकबा 1.53 हैक्टर भूमि के 1/2 हिस्से के सहखातेदार द्वारा धारित कृषि भूमि में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अकृषि उपयोग मिट्टी भण्डारण कर ईट कजावा हेतु उपयोग में लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। विधि के प्रावधानों अनुसार पूर्व प्रचलित नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही अप्रार्थी ईट कजावा के लिये भूमि का उपयोग कर सकता है। प्रकरण पंजीबद्ध होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने पर अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों के द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट पुनः पटवारी हल्का मौखमपुरा से तलब किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का मौखमपुरा ने न्यायालय आदेश की अनुपालना में दिनांक 22.11.2024 को प्रकरण में वर्णित भूमि का मौका निरीक्षण कर मौका फर्द तैयार कर मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। अपनी रिपोर्ट में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नंबर 272 रकबा 1.53 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल खातेदार अमरा पुत्र दीपा हिस्सा 1/2 जाति सरगरा, सा. देह खातेदार है। मौके पर खसरा नंबर 272 की भूमि खाली पडी है तथा खेत के ही कोने मे कच्ची पुरानी ईटें रखी हुई है। वर्तमान में किसी प्रकार का ईट कजावे का कार्य नही किया जा रहा है। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वर्तमान में प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम माताजीवाडा के खसरा नंबर 272 रकबा 1.53 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में किसी प्रकार का अकृषि कार्य/ईट कजावा संबंधी कार्य नही हो रहा है। जिससे अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों की यह दलील मानने योग्य है कि खातेदारों के द्वारा धारित अपनी कृषि भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजन उपयोग वर्तमान में नही लिया जा रहा है। जिस तथ्य को पटवारी हल्का मौखमपुरा ने भी अपनी मौका फर्द दिनांक 22.11.2024 में स्वीकार किया है। जिससे प्रकरण में धारा 177 के तहत कार्यवाही जारी रखना न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner